संचिका संख्या– टी 3 बजट–17/2013– 888

बिहार सरकार

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

प्रेषक,

उप सचिव,
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

/पटना, दिनांक–19.05.2026

विषय– **नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना स्कीम के अंतर्गत स्थापित नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में वित्तीय वर्ष 2025–2026 तक सृजित पदों के वित्तीय वर्ष 2026–2027 तक के लिए अवधि विस्तार एवं रूपये–21,000/– (इक्कीस हजार रूपये) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना राज्य स्कीम के अंतर्गत स्थापित नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जिनका स्थापना एवं पद सृजन किया गया है, इन सभी संस्थानों तथा इस स्कीम के तहत स्थापित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए सृजित पदों का वित्तीय वर्ष 2026–2027 तक के लिए अवधि विस्तार एवं वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि रूपये–21,000/– (इक्कीस हजार रूपये) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निदेशालय स्वीकृत्यादेश पत्रांक–2053, दिनांक–25.07.2025 द्वारा इस योजना अंतर्गत कुल–31 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को भी स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय (गैर योजना) मद में स्थानांतरित कर दिया गया है।

2. उक्त स्थापित संस्थानों का वित्तीय वर्ष 2026–2027 में रूपये–21,000/– (इक्कीस हजार रूपये) मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति स्वीकृत बजट उपबंध के अंतर्गत है। व्यय बजट उपबंध के अंतर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

3. राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2230–श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष–03–प्रशिक्षण, लघु शीर्ष–101 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, उपशीर्ष–0107 नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, विपत्र कोड–53–2230031010107, मांग संख्या–53 में वित्तीय वर्ष 2026–2027 में उपबंधित राशि के अंतर्गत किया जाएगा।

4. यह चालू योजना है।

5. इस स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगे तथा संबंधित महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस योजना के निकासी एवं व्ययम पदाधिकारी होंगे।

6. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी।

7. राशि का आवंटन वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत पत्रों के अनुसार किया जाएगा।

8. प्रस्ताव में बिभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या टी 3/बजट–17/2013 के पृष्ठ–75/टि० पर विभागीय सचिव की संचिका संख्या टी 3/ बजट–17/2013 के पृष्ठ–75/टि० एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति पृष्ठ–72/टि० पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

S. Dayal 18/5/26

(शंकर दयाल)
उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3 योजना–17/2013 – 888 /पटना, दिनांक– 19.05.2026

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 18/5/26

उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3 योजना–17/2013 – 888 /पटना, दिनांक– 19.05.2026

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, युवा,रोजगार एवं कौशल विकास विभाग/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 18/5/26

उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।

ज्ञापांक– टी 3 योजना–17/2013 – 888 /पटना, दिनांक– 19.05.2026

प्रतिलिपिः– निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/बजट शांखा (सरकार पक्ष)/योजना शांखा, निदेशालय/ निदेशालय बजट शाखा/मासिक व्यय शाखा निदेशालय/संबंधित प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

S. Dayal 18/5/26

उप सचिव
युवा,रोजगार एवं कौशल
विकास विभाग।